


राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्पकासौरीवा

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कासौरीवा व भूअ.नि. डा.बनार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कासौरीवा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2000-03 में खाता संख्या96 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जातें हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि को रेकार्ड में दर्ज की जातें हों)
1	<u>कासौरीवा</u>	<u>96</u>	<u>सरखू बैवा</u>	<u>सरखू चण</u>



 (रतनलाल रेगार)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 433/18

दिनांक 18/11/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री म.नि.सरखू डारपटनी विमाना का सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली बनार


 (रतनलाल रेगार)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा